


319/21

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

06.9.2022 पत्रावली पेश हुई। उर्ध्वी पक्ष अनुपरिचय पत्रावली का शतलोकन करने पर पत्रा कि विगत 07 माह का खतम खपतीर होने के उपरांत भी आदिनांक तक नोटिस पेश नहीं किए गए हैं। जो कि पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं। न्यायस्थ में एक अन्तिमतम अवसर दिया जाता है, आगे अवसर देना नहीं होगा। पत्रावली वाले तारीखी दिनांक 08.9.2022 को पेश करें।

  
 उप-उप-अधिकारी  
 बालोतरा (बाउनेरी)

8/9/22 उर्ध्वी पक्ष अनुपरिचय। पत्रावली विगत 07 माह से भी अधिक समय से तलबी में विचाराधीन पल रही हैं और पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी आदिनांक तक नोटिस पेश नहीं किए जा रहे हैं। और गत पेशी तारीख पर भी अन्तिमतम : अवसर दिया था, लेकिन नोटिस पेश नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में आगे और अवसर दिया जाना न्यायोनियत प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा उर्ध्वी का आवेदन पत्र नोटिस पेश नहीं किए जाने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल सुमार होकर दारिखत दफतर हो।

  
 (नरेश मनी)  
 उप-उप-अधिकारी  
 बालोतरा